



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14,बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता- 700 001

14, B.T.M. Sarani (Brabourne Road) Kolkata – 700001

www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं अनु-विविध/18/2026-अनुज्ञापन/924

दिनांक 09/07/2026

परिपत्र

विषय: ऑनलाइन "टी मार्क" लाइसेंसिंग पोर्टल और 'टी मार्केटप्लेस' पोर्टल का रोलआउट

टी बोर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा 20.03.2026 को जारी कार्यकारी आदेश के तहत, टी बोर्ड को "टी मार्क" लाइसेंसिंग पोर्टल और 'टी मार्केटप्लेस' पोर्टल के आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की गई है।

'टी मार्क' प्रमाणन योजना उन सभी छोटी चाय निर्माताओं और पत्ती क्रय फैक्ट्रियाँ के लिए खुली है जो चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के नियमों के तहत पंजीकृत हैं। कार्यकारी आदेश की धारा 2 के अनुसार, यह योजना व्यापार पर कोई रोक नहीं लगाती है, इसमें शामिल होना और प्रमाणन लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, टी बोर्ड ने घरेलू बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने बनाए खास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेची जाने वाली सभी चाय के लिए "टी मार्क" शुरू किया है। सिर्फ अधिकृत यूजर्स को ही लोगो/वर्ड मार्क उपयोग करने की अनुमति दी गई है और उन्हें इसके साथ दिए गए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा।

टी मार्क प्रमाणपत्र और बैचवार अनुमति पाने के लिए बोर्ड के ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल को इस यूआरएल- onlineapps.teaboard.gov.in - के ज़रिए एक्सेस किया जा सकेगा। टी मार्क सर्टिफाइड चाय की लिस्टिंग और खरीद के लिए बोर्ड के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इस URL - teamarketplace.in - के माध्यम से अभिगम किया जा सकेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

-हस्त-

संलग्न: एसओपी

(अनुज्ञापन नियंत्रक)

सेवा में:

सभी पंजीकृत चाय निर्माता, उद्योग, हितधारक एवं संघ

टी मार्क प्रमाणन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 'टी मार्क' प्रमाणन प्रक्रिया को कार्यान्वयन करने, प्रमाणन, निगरानी करने और लागू करवाने के लिए औपचारिक संचालन ढांचा तय करता है।

1. उद्देश्य

'टी मार्क' भारतीय चाय के लिए एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रमाणन चिह्न के रूप में काम करता है, जिसे 'टी बोर्ड भारत' के अधिकार के तहत जारी किया जाता है। यह इनके लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल प्रदान करता है:

- योग्य चाय और चाय उत्पादों का प्रमाणन
- गुणवत्ता की जाँच और प्रयोगशाला परीक्षण।
- आधिकारिक 'टी मार्क' लोगो के उपयोग की अनुमति
- उत्पाद की ट्रेसिबिलिटी और डिजिटल प्रमाणीकरण
- निगरानी, बाज़ार की निगरानी और प्रवर्तन

'टी मार्क' भारतीय चाय की गुणवत्ता, प्रमाणिकता, स्थिरता और ट्रेसिबिलिटी के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मानक स्थापित करता है। चूंकि यह स्वैच्छिक है, इसलिए यह मौजूदा भारतीय कानूनों के तहत चाय के उत्पादन, बिक्री, निर्यात या वितरण पर कोई रोक नहीं लगाता और न ही उनमें कोई बदलाव करता है।

2. कानूनी अधिकार

यह एसओपी अपनी कानूनी शक्ति और संचालन-व्यवस्था निम्नलिखित विनियामक प्रावधानों से प्राप्त करती है:

- चाय अधिनियम, 1953 की धारा 10 टी बोर्ड भारत के नियामक और गुणवत्ता कार्यों से संबंधित है।
- चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (टीएमसीओ)
- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999-प्रमाणन चिह्नों को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान
- टी बोर्ड भारत द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियम और दिशानिर्देश।
- 'टी मार्क' टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रमाणन मार्क के रूप में काम करेगा

3. दायरा और पात्र संस्थाएं

3.1 उत्पाद श्रेणी कवरेज

‘टी मार्क’ प्रमाणन रिटेल पैकेट में चाय की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगा:

- ऑर्थोडॉक्स चाय
- सीटीसी चाय
- ग्रीन टी
- ऑर्गेनिक चाय
- विशेष एवं एकल-मूल चाय
- मूल्यवर्धित चाय एवं चाय उत्पाद

3.2 पात्र हितधारक

- शुरुआती चरण: टीएमसीओ, 2003 के तहत विधिवत पंजीकृत मिनी चाय इकाइयाँ और चाय पत्ती क्रय फैक्ट्रियों (ओएलएफ) तक सीमित।
- बाद के चरण: चाय बागानों, कॉर्पोरेट फैक्ट्रियों, स्वतंत्र पैकर्स और निर्यातकों तक विस्तार, साथ ही टी बोर्ड की आगे की सूचनाएं।

4. परिभाषाएँ

- **टी मार्क:** एक आधिकारिक प्रमाणन मार्क जो निर्धारित गुणवत्ता, ट्रेस-मूल, और उत्पादन स्थिरता के नियमों का पालन होने की पुष्टि करता है।
- **आवेदक:** एक पंजीकृत मिनी चाय इकाइयाँ और चाय पत्ती क्रय फैक्ट्री
- **प्रमाणन प्राधिकारी:** टी बोर्ड भारत 'टी मार्क' प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
- **मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला:** सिलीगुड़ी में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल) या टी बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध एन ए बी एल-मान्यता प्राप्त कोई भी प्रयोगशाला।
- **ट्रेसिबिलिटी प्रणाली:** एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो चाय के मूल स्थान, उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रमाणन विवरण की पुष्टि करने में मदद करता है।
- **निरीक्षण प्राधिकरण:** टी बोर्ड भारत द्वारा निरीक्षण करने और नमूने लेने के लिए अधिकृत अधिकारी।

5. जिम्मेदारियाँ

5.1 टी बोर्ड भारत

- ‘टी मार्क’ के लिए विश्लेषणात्मक बेंचमार्क को परिभाषित करें, सूचित करें और अद्यतन करें।
- आवेदनों की समीक्षा करें और प्रमाणन जारी करें या नवीकरण करें।

- सेंट्रल डिजिटल ट्रेसेबिलिटी डेटाबेस को होस्ट, प्रबंधित और सुरक्षित करें।
- फ़ील्ड निरीक्षण, नमूना और खुदरा बाज़ार की निगरानी करें।
- लोगो के गलत उपयोग या गुणवत्ता में कमीके मामलों में जुर्माना लगाएं या अभिगम रद्द करें।

5.2 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ

- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए चाय के नमूने प्राप्त करें और उनका विश्लेषण करें।
- पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करें।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन करें।

5.3 प्रमाणित संस्थाएँ

- सभी 'टी मार्क' मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
- कच्चे माल के रिकॉर्ड का रखरखाव और ट्रेसेबिलिटी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना।
- लोगो को निर्धारित पैकेजिंग दिशानिर्देश के अनुसार ही दिखाएं।
- बोर्ड के अधिकारी द्वारा निरीक्षण और नमूना लेने की सुविधा दें।

6. शुरू से अंत तक प्रमाणन कार्यप्रवाह

i. टी मार्क प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन

आवेदकों को 'टी बोर्ड अनुज्ञापन पोर्टल' के माध्यम से वैध टीएमसीओ प्रमाणपत्र, जीएसटी पंजीकरण, एफएसएसआई पंजीकरण, उत्पाद श्रेणी की जानकारी और आवेदक या उनके सदस्य उत्पादकों के क्यूआर कोड कार्ड के साथ आवेदन जमा करना होगा।

ii. प्रारंभिक सत्यापन:

टी बोर्ड आवेदन के पूरा होने और पात्रता की जांच करेगा। अधूरे आवेदनों को सुधार के लिए वापस कर दिया जाएगा।

iii. टी मार्क प्रमाणपत्र जारी करना:

पूरे हो चुके आवेदन के लिए टी बोर्ड 'टी मार्क' प्रमाणपत्र जारी करेगा और आवेदक लाइसेंसिंग पोर्टल के माध्यम से लोगो (पैकेज पर प्रिंटिंग के लिए) के साथ 'टी मार्क' प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेगा।

iv. बैच की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन:

जिन आवेदकों के पास वैध 'टी मार्क' प्रमाणपत्र है, उन्हें 'टी बोर्ड लाइसेंसिंग पोर्टल' के ज़रिए बिक्री के लिए पेश की जाने वाली चाय की बैच के विवरण के साथ बैच की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।

v. पैकड चाय का नमूनाकरण:

अधिकृत अधिकारी इकाई का निरीक्षण करेंगे और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (teamarketplace.in) के माध्यम से बिक्री के लिए पेश की जाने वाली चाय के पैकड बैच से नमूने लेंगे।

vi. प्रयोगशाला परीक्षण:

चाय के लिए एफएसएसआई मानकों के अनुपालन के परीक्षण के लिए नमूनों को सील करके क्यूसीएल, सिलीगुड़ी या बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध किसी एनएबीएल प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। नमूनों के परीक्षण पर, प्रयोगशाला परिणाम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड करेगी।

vii. बैच की अनुमति जारी करना:

प्रयोगशाला रिपोर्ट मिलने पर, टी बोर्ड उन चाय के लिए निर्माता को 'टी मार्क' लोगो के साथ पैकेट चाय बेचने की बैचवार अनुमति देगा जो एफएसएसआई मानकों को पूरा करती हैं। और निर्माता ऐसी 'टी मार्क' प्रमाणित चाय की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (teamarketplace.in) का उपयोग करेगा।

8. वैधता, नवीनीकरण, शुल्क और लोगो का उपयोग

8.1 वैधता की अवधि

टी मार्क प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से तीन (3) वर्षों की निश्चित अवधि के लिए वैध है।

8.2 नवीनीकरण की प्रक्रिया

प्रमाणित हितधारक को प्रमाणपत्र की समय-सीमा की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले, निर्धारित नवीनीकरण शुल्क के साथ नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

8.3 शुल्क

- सभी हितधारक के लिए नए 'टी मार्क प्रमाणपत्र' लेने या उसे नवीनीकरण कराने की शुल्क ₹1,000 +जीएसटी है।
- सभी हितधारक के लिए प्रति बैच अनुमति शुल्क ₹5,400 +जीएसटी है।

8.4 लोगो के इस्तेमाल के नियम

- पैकेट पर, निशान के नीचे या उसके बगल में प्रमाणपत्र नंबर या प्रणाली से बना ट्रेसिबिलिटी क्यूआर कोड छपा होना चाहिए।
- इस निशान का उपयोग उपभोक्ता पैकेजिंग, निर्यात शिपिंग खेप, और अधिकृत कॉर्पोरेट प्रचार सामग्री पर किया जा सकता है। इसके रंग, लिपि या संरचनात्मक के अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

9. ट्रेसबिलिटी और डिजिटल एकीकरण

प्रमाणन की प्रक्रिया केंद्रीकृत है और डिजिटल प्लेटफॉर्म सप्लाई चेन की स्पष्ट जानकारी देता है, जिससे ग्राहक उत्पाद की प्रसंस्करण वृत्तांत, निर्माण तिथि, प्रयोगशाला निकासी टोकन और संपदा/ एस्टेट/ फैक्ट्री का मूल स्थान की जानकारी देख सकते हैं।

10. नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई:

'टी' मार्क लोगो का अनधिकृत उपयोग निषिद्ध है। अगर कोई संस्था खुदरा नमूना परीक्षण में विफल हो जाती है या लोगो का गलत उपयोग करता है, तो टी बोर्ड तुरंत 'टी' मार्क प्रमाणन को निलंबित/रद्द कर देगा।

11. एसओपी संशोधन प्रोटोकॉल:

इस एसओपी की प्रत्येक वर्ष एक औपचारिक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, ताकि इसमें बाज़ार की स्थितियों, तकनीकी अद्यतन और एफएसएसएआई या अंतरराष्ट्रीय कानूनी सीमाओं में हुए बदलावों को शामिल किया जा सके।